# पर्यटन निदेशालय, उत्तराखण्ड

पं0 दीन दयाल उपाध्याय पर्यटन भवन,
निकट–ओ0एन0जी0सी0 हैलीपैड,
गढ़ीकैन्ट, देहरादून।

संख्या– 3521/2–6–652(टी0सी0) /2014–15 दिनांक 31 मार्च, 2015

## –:कार्यालय आदेश:–

शासनादेश संख्या– 448/VI(1)/2015–03(12)/2004, दिनांक 31 मार्च, 2015 द्वारा प्राप्त स्वीकृति के आधार पर उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के मुख्यालय भवन के मरम्मत कार्य हेतु आगणन लागत रू0 19.50 लाख का टी0ए0सी0 वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि रू0 16.49 लाख **(सिविल कार्य के अन्तर्गत रू0 6.28 लाख तथा अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत रू0 10.21 लाख)** की प्रशासकीय स्वीकृति सहित वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 में विभागीय भवन की मरम्मत मद में प्राविधानित में रू0 5.73 लाख **(रूपये पांच लाख तिहतर हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2– अतः उक्तानुसार प्राप्त वित्तीय स्वीकृति के क्रम में रू0 5.73 लाख **(रूपये पांच लाख तिहतर हजार मात्र)** की धनराशि को निम्न विवरणानुसार आहरित कर निर्माण इकाई गढवाल मण्डल विकास निगम लि0 देहरादून को भुगतान किये जाने की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती हैं:–

(धनराशि लाख में)

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | आगणन की लागत/टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि | वर्ष 2014–15 में आहरित की जा रही धनराशि | निर्माण इकाई |
|---|---|---|---|---|
| 1 | उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद भवन की मरम्मत हेतु। | 16.49 | 5.73 | प्रबन्ध निदेशक गढवाल मण्डल विकास निगम लि0 देहरादून। |
| | योग:– | 16.49 | 5.73 | |

**(रूपये पांच लाख तिहतर हजार मात्र)**

3– उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण कर इस निदेशालय के आहरण वितरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा जो उक्त धनराशि को आहरित कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से "प्रबन्ध निदेशक गढवाल मण्डल विकास निगम लि0 देहरादून" को भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

गढवाल मण्डल विकास निगम लि0 देहरादून का समस्त विवरण निम्नानुसार है:–

| | | |
|---|---|---|
| 1 | TIN No. | 05000332638 |
| 2 | PAN No. | AACCG6021EI |
| 3 | ADDRESS | Garhwal Mandal Vikas Nigam Ltd. 74/4 Rajpur Road Dehradun |
| 4 | Mobile No. | 9927613186 |
| 5 | SERVICE TAX NO. | N.A |
| 6 | E-MAIL I.D. | gmvnengg@gmail.com |
| 7 | BANK NAME | PUNJAB NATIONAL BANK, |
| 8 | ACCOUNT NO. | 3713000100122262 |
| 9 | BANK ADDRESS | PUNJAB NATIONAL BANK, Clok Tower Dehradun |
| 10 | IFSC CODE | PUNB0371300 |

16— उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014—15 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—26 के लेखाशीर्षक—5452—पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय—80—सामान्य—आयोजनागत—104—संबर्धन तथा प्रचार—04—राज्य सेक्टर—48—विभागीय भवनों की मरम्मत—24—वृहद् निर्माण कार्य के मानक मद के नामे डाला जायेगा।

**(डा0 उमाकान्त पंवार)**
निदेशक पर्यटन, उत्तराखण्ड।

**पृ0प0संख्या— 3521 /(1)/2014—15, समदिनांकित ।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3— जिलाधिकारी, देहरादून।
4— वित्त अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5— सचिव पर्यटन/अपर सचिव पर्यटन,, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
6— वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
7— प्रबन्ध निदेशक गढवाल मण्डल विकास निगम लि0 देहरादून।
8— आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
9— क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी देहरादून।
10— लोक सूचना अधिकारी, पर्यटन निदेशालय, देहरादून।
11— एन0आई0सी0 को बेवसाइड हेतु
12— सम्बन्धित फाईल हेतु ।
13— गार्ड फाइल ।

**(शैलेन्द्र शंकर सिंह)**
निदेशक वित्त

4– प्रबन्ध निदेशक गढवाल मण्डल विकास निगम लि0 देहरादून को भुगतान की जा रही धनराशि रू0 5.73 लाख पर नियमानुसार 2 प्रतिशत आयकर रू 11,460/– की कटौती की जायेगी। निर्माण इकाई को भुगतान की जा रही धनराशि की विधिवत रसीद इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

4– उक्त कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग कर एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी देहरादून के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जायेगे। साथ ही योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि इस कार्यालय को शासन को एवं क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी देहरादून को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जायेगें।

5– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के हेतु पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

6– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

7– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

8– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

9– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्यक करा लिया जाये तथा विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

10– स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य) स्थिति की दशा में ही करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

11– स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2015 तक अवश्य कर लिया जाय।

12– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–2047/XIV–219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

13– कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही स्वीकृत धनरशि के सापेक्ष अधिप्राप्ति निमयमावली–2008 के अन्तर्गत क्रय की जाने वाली सामग्री पर होने वाले व्यय के उपरान्त अवशेष धनराशि राजकोष में जमा कराकर प्रति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

164 कार्य के प्रति पूर्ण भुगतान करने से पूर्व किसी तृतीय पक्ष से इसकी गुणवत्ता की चेकिंग का कार्य उक्त अनुमोदित लागत से कराये जाने के बाद कार्य अनुमोदित आगणन के अनुसार होने की पुष्टि पर ही भुगतान किया जायेगा। अतः निर्माण इकाई Third Party Monitering की व्यवस्था करेंगे।

15– स्वीकृत की जा रही योजना के सापेक्ष निर्माण कार्य 01 वर्ष के भीतर पूर्ण कर लिया जायेगा। इससे सम्बन्धित एव MOU विभाग एवं कार्यदायी संस्था के मध्य किया जायेगा।